



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 368]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

**सा.का.नि. 543(अ).—**कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6 सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस योजना को कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2016 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में, पैराग्राफ 22 (1) उप-पैरा (3) में खण्ड 1 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(1) जिस माह में सदस्य की मृत्यु हुई, उसके पूर्व 12 माह की अवधि के दौरान लिया गया औसत मासिक वेतन (अधिकतम पंद्रह हजार रुपए तक) के तीस गुणा के साथ-साथ निधि में मृतक के खाते के औसत शेष तथा अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27 अथवा 27ए के अंतर्गत औसत शेष का 50 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, पिछले 12 माह अथवा उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो एक लाख एवं 50 हजार रुपए की सीमा तक, अधिकतम छः लाख रुपए की सीमा तक"

(2) उप पैराग्राफ (4) में अंकों, कोष्ठक एवं शब्दों "उप-पैराग्राफ (1), (2) अथवा (3)," को अंकों, कोष्ठक एवं शब्दों "उप-पैराग्राफ (1) अथवा (2)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[ सं. एस-65013/2/2015-एस.एस.-II ]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल योजना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 488(अ), दिनांक 28 जुलाई, 1976 में प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार इसमें संख्या सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

**G.S.R. 543 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2016.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, in paragraph 22,-

(1) in sub-paragraph (3), for clause (i), the following shall be substituted, namely : –

“(i) the average monthly wages drawn (subject to a maximum of fifteen thousand rupees), during the twelve months preceding the month in which he died, multiplied by thirty times plus fifty per cent. of the average balance in the account of the deceased in the Fund or of a provident fund exempted under section 17 of the Act or under paragraph 27 or 27 A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, as the case may be, during preceding twelve months or during the period of his membership, whichever is less, subject to a ceiling of one lakh and fifty thousand rupees, subject to a total ceiling of six lakh rupees;”;

(2) in sub-paragraph (4), for the words, brackets and figures “sub-paragraph (1), (2) or (3)”, the words, brackets and figures “sub-paragraph (1) or (2)”, shall be substituted.

[No. S-65013/2/2015-SS-II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

**Note.-** The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28<sup>th</sup> July, 1976 and lastly amended *vide* number G.S.R. 527(E), dated the 2<sup>nd</sup> July, 2015.